

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(243)वित्त-1(1)आ.व्यय/2009

जयपुर, दिनांक: 28.7.2010

समस्त कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 173/2010-11)

विषय:-तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में जिला परिषद/
पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती
राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ
165(13) परावि/ले.ब./ते.वि.आ./10-11/14070 दि.27.7.10 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के
अनुसार राशि रु. 2750.10 लाख (अक्षरे रु. सत्ताईस करोड पचास लाख दस हजार मात्र) निम्न
बजट मद से संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित कर
दी जावे ।

-: व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

भाग सं. 41

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198- ग्राम पंचायतों को सहायता

(16)- तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों
के लिए अनुदान

[02]- कार्यकलाप / गतिविधियां

12- सहायताार्थ अनुदान (आयोजना-भिन्न) राशि रु. 2750.10 लाख स्वीकृति क 14070 दि.27.7.10
के संलग्न सारणी के अनुसार

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में
संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृती का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान
मद का विवरण एवं आयोजना निम्न दर्शाते हुए अंकित किया जायें ।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य
प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भवदीय
[सुधीर शर्मा]
28/7/10
(सुधीर शर्मा)

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियाँ सहित ।
2. प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है
कि व्यय करने से पूर्व चुनाव संबंधी आचार संहिता की पालना अक्षरशः सुनिश्चित कराई
जावे ।
3. उप शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि व्यय करने से
पूर्व चुनाव संबंधी आचार संहिता की पालना अक्षरशः सुनिश्चित कराई जाने
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर लेख है कि व्यय करने से पूर्व
चुनाव संबंधी आचार संहिता की पालना अक्षरशः सुनिश्चित कराई जाने ।
6. लेखाकार वित्त (बजट) विभाग ।
7. ए.सी.पी. वित्त (बजट) विभाग ।
8. रक्षित पत्रावली ।

[सुधीर शर्मा]
उप शासन सचिव, वित्त (बजट)